

पेंशन नियम एक दृष्टि में

प्रभावशील दिनांक	अंतिम उपलब्धियां (नियम-30)	औसत उपलब्धियां (नियम-31)	अर्हक सेवा	उपदान	पेंशन	परिवार पेंशन		
						सामान्य दर	बढ़ी दर	
							सेवानिवृत्ति पश्चात मृत्यु	सेवाकाल में मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.76	(1) सेवानिवृत्ति या मृत्यु दिनांक को प्राप्त उपलब्धि (2) अधिकतम रूपये 2000	12 माह के वेतन का औसत	(1) पूर्ण छः माही में गणना (2) अधिकतम 33 वर्ष / 66 छः माही	(1) सूत्र- उपदान अंतिम उपलब्धि छः माही X अर्हक सेवा (2) अधिकतम 16.5 माह या रूपये 25,000 जो भी कम हो (3) सेवाकाल में मृत्यु पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर न्यूनतम 12 माह का वेतन (4) अंशदायी परिवार पेंशन दो माह का वेतन अधिकतम रु. 4000 कम करना (31.3.79 से यह अंशदान समाप्त)	(1) सूत्र- औसत उपलब्धि X छः माही अर्हक सेवा  (2) न्यूनतम = रूपये 40 (3) अधिकतम = रूपये 10,000 प्रतिवर्ष (रु. 833.33 प्रति माह )	अंतिम दर न्यून अधिक उपलब्धि 400 30% 60 न्यूनतम 100 तक 400 15: 100 160 से अधिक तक 1200 12% 160 250 से अधिक	(1) सात वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो (2) मृत्यु के अगले दिनांक से सात वर्ष तक अथवा शासकीय सेवक की आयु 67 वर्ष पूर्ण होने तक (3) साधारण दर का दो गुना या शासकीय सेवक की पेंशन अथवा अंतिम उपलब्धि का 1/2 इनमें से जो भी सबसे कम हो	(1) सात वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो (2) मृत्यु के अगले दिनांक से सात वर्ष तक अथवा शासकीय सेवक की आयु 67 वर्ष पूर्ण होने (3) साधारण दर का दो गुना अथवा अंतिम उपलब्धि का आधा जो भी कम हो

1.4.79	(1) सेवानिवृत्ति या मृत्यु दिनांक को प्राप्त उपलब्धि (2) अधिकतम रूपये 2000	12 माह के वेतन का औसत	(1) पूर्ण छः माही में गणना (2) अधिकतम 33 वर्ष/66 छः माही	1) सूत्र- उपदान = अंतिम उपलब्धि छः माही X अर्हक सेवा (2) अधिकतम = 16.5 माह या रूपये 25,000 जो भी कम हो (3) सेवाकाल में मृत्यु = पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर न्यूनतम 12 माह का वेतन	(1)खण्ड सूत्र- औसत पेंशन उपलब्धि 1000 50% तक अगले रु. 45% 500 तक शेष राशि का 40: उपरोक्त गणना की गई पेंशन 33 वर्ष (66 अर्द्ध वर्ष) के लिए है 66 अर्द्ध वर्ष से कम अर्हक सेवा का सूत्र- परिगणित x अर्द्धवर्ष पेंशन अर्हक सेवा 66 (2)न्यूनतम रूपये 40 (3)अधिकतम रूपये 1500 (पेंशन एवं राहत सहित)	अंतिम दर न्यून अधिक उपलब्धि 400 30% 60 100 तक 400 15: 100 160 से अधिक तक 1200 12% 160 250 से अधिक	(1)सात वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो (2)मृत्यु के अगले दिनांक से सात वर्ष तक अथवा शासकीय सेवक की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक (3)साधारण दर का दो गुना या शासकीय सेवक की पेंशन अथवा अंतिम उपलब्धि का 1/2 इनमें से जो भी सबसे कम हा	(1)सात वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो (2)मृत्यु के अगले दिनांक से सात वर्ष तक अथवा शासकीय सेवक की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने (3)साधारण दर का दो गुना अथवा अंतिम उपलब्धि का आधा जो भी कम हो
1.4.81	(1) उपरोक्तानुसार (2) अधिकतम सीमा रूपये 2500	(1) दस माह का औसत (2) चौधरी वेतनमान में 1.4.81 से निवृत्ति या मृत्यु तक का औसत	(1) दिनांक 20.8.84 से 3 माह या इससे अधिक के भाग	यथावत (2) 15 माह का वेतन या 30000 जो भी कम हो (3) यथावत	(1) खण्ड सूत्र व अनुपातिक पेंशन यथावत (2) न्यूनतम रूपये 60 (3) अधिकतम रूपये 1500 (पेंशन एवं राहत सहित)	(1)खण्ड सूत्र के आधार पर- (1) प्रथम रु.400 पर रु. 150 (2) अगले प्रत्येक रूपये 200 के खण्ड पर रूपये 25	(1)तथा (2)यथावत (3)पेंशनर की पेंशन के बराबर	(1)तथा (2)यथावत (3)मृत्यु दिनांक की अंतिम परिलब्धि का प्र.श. या



1	उपलाब्धिया (नियम-30)	उपलाब्धिया (नियम-31)	सेवा	5	6	सामान्य दर	बढ़ी दर	
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.86	(1)उपरोक्ता नुसार (2) कोई सीमा नहीं	(1)10 माह का औसत (2)पुनरीक्षित वेतन में 10 माह पूर्ण न होने पर पूर्व वेतनमानका वेतन तथा महंगाई भत्ता जो उक्त औसत हेतु लेना है।	उपरोक् तानुसार	(1),(2) तथा (3) यथावत	(1)यथावत (2)न्यूनतम सीमा रूपये 250 (3)अधिकतम सीमा यथावत दिनांक 2. 10.86 से समाप्त	अंतिम दर न्यून अधिक उपलब्धि 1500 30 250 तक प्र.श. 1501 20 450 से प्र.श. 3000 अधिकतम सीमा 3001 15 600 850 व प्र.श. अधिक	(1)तथा (2)यथावत (3)पेंशनर की पेंशन या सामान्य दर का दो गुना या अंतिम तक 50% इनमें जो भी कम हो	(1)तथा (2)यथावत (3)तथा यथावतसामान्य पेंशन को दो गुना या अंतिम परिलब्धि का 50% दोनों में जो परिलब्धि का भी कम हो
1.1.89	उपरोक्तानुस ार	उपरोक्तानुस ार	उपरोक् तानुसार	यथावत (2)16 1/2 माह का वेतन या 75,000 जो भी कम हो (3)यथावत	(1)यथावत (2)न्यूनतम सीमा रूपये 300 (3)अधिकतम सीमा कोई नहीं	उपरोक्तानुसार न्यूनतम रूपये 300	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
1.8.89	(1) उपरोक्तानुस ार (2) अधिकतम सीमा रूपये 2500	(1) दस माह का औसत (2) चौधरी वेतनमान में 1.4.81 से निवृत्ति या मृत्यु तक का औसत	(1) दिनांक 20.8.84 से 3 माह या इससे अधिक के भाग को एक अर्ध वर्ष में गणना (2)उपरो	यथावत (2) 15 माह का वेतन या 30000 जो भी कम हो (3) यथावत	(1) खण्ड सूत्र व अनुपातिक पेंशन यथावत (2) न्यूनतम रूपये 60 (3) अधिकतम रूपये 1500 (पेंशन एवं राहत सहित)	उपरोक्तानुसार न्यूनतम परिवार पेंशन रूपये 375/-	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

			क्तानुसर र र					
16.9.93	(1)उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	(1),(2)तथा(3)यथावत अंतिम उपलब्धियों की गणना में अंतिम वेतन में उसी 20% राशि जोड़कर की जायेगी अर्थात् अंतिम वेतन + उसका 20% अंतिम उपलब्धि	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
1.4.95	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	(1), (2) तथा (3) यथावत (2)अधिकतम सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार की गई (4)निम्नानुसार महंगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा :- (1)मूल वेतन 3500/- मूल वेतन का 97 प्रतिशत (11) मूल वेतन 3500/- परन्तु 6000/- तक मूल वेतन का 73 प्रतिशत	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

				(111)6000 /—से अधि क मूल वेतन— मूल वेतन का 63 प्रतिशत न्यूनतम 4380 /—				
1.1.96	उपरोक्तानुस ार (2)सेवानिवृत्ति त/मृत्यु दिनांक को प्राप्त उपलब्धि (वेतन)	उपरोक्तानुस ार दस माह का वेतन औसत	उपरोक् तानुसार अधिकत म 33 वर्ष या 66 छः माही	(1) व (3) यथावत (3) अधिकतम सीमा 3.50 लाख (4)पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमान में सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता डी.सी.आर.जी. की गणना के लिए परिलब्धियां के रूप में माना जावेगा	(1),(2) (3) यथावत (4) न्यूनतम पेंशन रूपये 1275 /—	अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत न्यूनतम रूपये 1275 /—	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
1.1.2006	अंतिम माह का मुल वेतन	अंतिम माह का मूल वेतन ()	उपरोक् तानुसार	(1)यथावत (2)10.00 लाख (3)यथावत (4)यथावत	उपरोक्तानुसार न्यूनतम—3025	उपरोक्तानुसार न्यूनतम—3025	यथावत 1,2,3	यथावत 1,2,3